<u>शैक्षणिक परिभ्रमण</u>

छात्र–छात्राओं को अपने राज्य के ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थलों, धरोहरों एवं विरासतों की जानकारी एवं जागरूकता प्रदान करने हेतु राज्य सरकार ने भौक्षणिक परिभ्रमण की व्यवस्था की है। यह राज्य के सभी प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालयों के छात्र–छात्राओं के प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर ज्ञानार्जन की दिशा में एक रचनात्मक मनोवैज्ञानिक प्रयास है।

इस योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक विद्यालय की शिक्षा समिति के बैंक खाते में प्रति वर्श ₹ 10,000 ⁄ – की राशि हस्तान्तरित कर दी जाती है। विद्यालय शिक्षा समिति बैठक आयोजित कर छात्र–छात्राओं का समतुल्य अनुपात में चयन कर, उनकी योग्यता, अभिरूचि आदि के आधार पर भौक्षणिक परिभ्रमण का प्रति वर्ष आयोजन करती है।